सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्याः— **2017/11** दायर दिनाँक **11.09.2017**

आवेदकगण		अनावेदक
1. नरपतराम पुत्र मोहनराम, उम्र—38साल, 2. हजारीराम पुत्र मोहनराम, उम्र—34साल, 3. प्रेमाराम पुत्र मोहनराम, उम्र—26साल, समस्त,जाति—मेघवाल, निवासी—आजवा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. लिछमणराम पुत्र रामूराम, जाति—मेघवाल, निवासी—आजवा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना—पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः—

1. श्री हीरसिंह बलारा, वकील, आवेदकगण की ओर से।
2. श्री जयप्रकाश, अधिवक्ता, वकील, अप्रार्थी की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक— **19.12.2017**

प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदकगण उपखण्ड डीडवाना में ग्राम आजवा में स्थित खेत खसरा नम्बर 22 रकबा 22.02 बीघा के खातेदार हैं। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते हैं।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी लिछमणराम की तरफ से जवाब मय आपत्ति पेश हुई है। अप्रार्थी लिछमणराम द्वारा पेश जवाब मय आपत्ति के मुताबिक, खसरा नम्बर 22, 427/22 व 21 में आने—जाने के लिए आजवा से मड़ाम के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

लिए जाने वाला कट्टाणी रास्ता उपलब्ध है, इसलिए उक्त आवेदन को मय खर्चा खारिज किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना द्वारा रिपॉर्ट अदालत में पेश की गयी।

तहसीलदार डीडवाना ने अपनी रिपोर्ट पत्रांक 1879 दिनाँक 18.10.2017 में प्रकरण में मौके का नजरी नक्शा अनुसार नया रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम आजवा के खसरा सं0 22 में आने जाने हेतु रास्ता मार्क ए से बी तक दर्शाया गया है। बिन्दु ए से बी तक लम्बाई 396 फीट व रास्ते की चौड़ाई 11 फीट है जिसका क्षेत्रफल 4356 वर्गफीट हैं इसका बीघा में नाप रकबा 0.05 बीघा बनता है। यह रास्ता मौके पर चालू है।

प्रकरण में बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मार्क ए से बी तक रास्ता घोषित किया जावें क्योंकि पक्षकारान इसी रास्ते से वर्तमान आते जाते है। मार्क ए से बी तक रास्ते की दुरी 396 फीट है। अतः मार्क ए से बी तक नजदीकी रास्ता है। अतः मार्क ए से बी तक रास्ता घोषित किया जावें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 22, 427/22 व 21 में आने–जाने के लिए आजवा से मड़ाम के लिए जाने वाला कट्टाणी रास्ता उपलब्ध है, इसलिए उक्त आवेदन को मय खर्चा खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण ने अपने नजरी नक्शा में रास्ता मार्क ए से बी तक दर्शाया है। तहसीलदार डीडवाना रिपोर्ट के अनुसार रास्ता की नाप मार्क ए से बी तक लम्बाई 396 फीट व चौड़ाई 11 फीट का रास्ता प्रस्तावति किया है।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। शरहद आजवा के खसरा नम्बर 22 रकबा 22.02 बीघा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थीगण मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने–जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदकगण की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–11 / 2017
दायर दिनाँक 11.09.2017 निर्णय दिनाँक 19.12.2017
लिछमणाम बनाम् लिछमणराम, वगैरा।

प्रार्थीगण को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट में पेश नजरी नक्शा मुताबिक मार्क ए से बी तक की भूमि को रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है। जो कि खसरा सं0 22 के नजदीकी रास्ता लगता है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 22 वाकै सरहद आजवा में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट दिनाँक 18.10.2017 में नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी तक लाईन को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट, निर्णय की अभिन्न भाग रहेगी। रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी.एल.सी. दर से कर, प्रभावित खातेदारान् को नियमानुसार भूगतान की कार्यवाही करावें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **19.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना

Scanned by CamScanner